उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग--11
संख्या--2114 / 15-11-2011-908 / 11टी0सी0
लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर 2011

संशोधन / विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया के संबध में निर्गत शासनादेश संख्या-1456 / 15-11-2011-908 / 11, दिनांक 01 सितम्बर 2011 के प्रस्तर-3 **आवेदन हेतु पात्रता (क)** शैक्षिक अर्हता के अनुसार जिन्होने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0काम0 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो, का उल्लेख किया गया है, के संबध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0काम0** परीक्षा के स्थान पर **''स्नातक परीक्षा''** शब्द का उल्लेख कर दिया जायें।

2- उपर्युक्तानुसार विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा** न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो, पढ़ा जायें।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर 2011 को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शासनादेश की अन्य नियम व शर्ते व्यथावत् लागू रहेगी।

अनिल संत
सचिव

संख्याः 2114(1) / 15-11-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव,सचिव,बेसिक शिक्षा,उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव,विशेष सचिव,शिक्षा अनुभाग--11 उ0प्र0शासन।
3. राज्य परियोजना निदेशक,सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
7. सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी / रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें,उ0प्र0इलाहाबाद
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी0पी0सिंह)
अनुसचिव

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011 में आवेदन हेतु संशोधित विज्ञप्ति

राज्य सरकार ने **शासनादेश संख्या–2114 / 15–11–2011–908 / 11 टी0सी0 दिनांक 07.10.2011** द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2011 के प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने की पूर्व निर्धारित अर्हता **बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम0** परीक्षा के स्थान पर **''स्नातक परीक्षा''** कर दी है। अतः पुनर्निधारित शैक्षिक अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने की **अन्तिम तिथि** 22.10.2011 निर्धारित है। डाकघर के विलम्ब अथवा किसी अन्य कारण से उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति **दिनांक** 03.09.2011 की शेष शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप पूर्ववत् है। **जो अभ्यर्थी पूर्व में विज्ञापन दिनांक 03.09.2011 के क्रम में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति एवं
प्राचार्य
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद,
उ0प्र0।

(आवेदन पत्र का प्रारूप ए–4 साइज के पेपर पर वेबसाइट www.scertup.org से डाउन लोड किया जा सकता है।)